(2)

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी श्रीगंगानगर

क्रमांकः–233 दिनांकः–23-11-2021

स्व.विधावन्ती लभुराम फाउण्डेशन फॉर
साईन्स रिसर्च एण्ड सोशल वेल्फेयर
पताः–एचएच गार्डन ,श्रीगंगानगर।

विषयः–अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री सूरज अग्रवाल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल ने आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड एचएच गार्डन श्रीगंगानगर में स्थित निर्मित भवन में निमार्ण कार्य किया गया है एंव निर्माण कार्य चल रहा है। जिसके लिये फायर से अनापत्ति प्रमाण–पत्र चाहा गया है। निरीक्षण दौरान पाया गया कि उक्त स्थान पर दमकल गाड़ी आवागमन हेतु सुविधा है। बिल्डिंग का अग्निमशन सुरक्षा की दृष्टि से अस्थाई अग्निशमन प्रमाण–पत्र की अभिशंषा की जाती है।

1. भवन के चारों ओर फायर गाड़ी घूमने, खड़ा होने के लिये पर्याप्त स्थान/रोड़ होनो चाहिये।
2. निर्माण किये जाने वाले भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप अग्निशमन यंत्र/उपकर, फायर लिफट फायर स्टेयर केस एंव नेशलन बिल्डिंग कोड के अनुरूप आग से बचाव, आग बुझाने व आग से सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
3. निर्माण किये जाने वाले भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप फायर हाईड्रेन्ट मय होज व नोजल, होजरील होज, फायर एक्सटिंग्यूशन, एम.सी.पी. हूटर, पी.ए. सिस्टम, फायर डिडेक्शन सिस्टम मय फायर पेनल, फायर स्प्रिंकलर, एमरजेंसी लाईट, अण्डर ग्राउण्ड व ओवर हैड फायर वाटर टैंक मय पम्प/पम्प यूनिट आदि लगाना अनिवार्य होगा।
4. भवन में अमरजेन्सी के दौरान लोगों के बाहर निकलने के लिये एमरजेंसी जीने व दरवाजे होने चाहिये, जो चौड़े है और रास्ते पर निशान लगे होने चाहिये एंव बाहर निकलने का रास्ता सीधा गली में हो। नेशलन बिल्डिंग कोड के अनुरूप आग से बचाव, आग बुझाने व आग से सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
5. भवन में वेन्टीलेटर होने चाहिये।
6. भवन में टैरस व रिफयूज एरिया बिल्डिंग के अनुसार बनाये जाने होंगे।
7. भवन में फायर निरोधक दरवाजे होने चाहिये।
8. भवन में उचित निकासी व्यवस्था करनी होगी व अग्निशमन उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था चालू स्थिति में रखनी अनिवार्य होगी।
9. भवन का निर्माण संबंधित सक्षम अधिकारी से अनुमोदित भवन मानचित्र अनुसार होगा।
10. अस्थाई अग्निशमन अनापत्ति अभिशंषा आवेदित स्थल का भूमि संबंधित कोई प्रकरण विचाराधीन/विवादित है तो इसके लिये आवेदनकर्त्ता स्वंय ही उत्तरदायी होगा। इस संबंध में इस विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। भूमि व भवन संबंधित किसी प्रकार के विवाद हेतु बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा।
11. भवन में धुंआ निकासी के लिये नेशलन बिल्डिंग कोर्ड के अनुरूप उचित व्यस्था करनी होगी।
12. फायर प्रिबेन्शन, फायर प्रोटेक्शन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन में जो उपकरण लगाये जावे व व्यवस्था की जावे उनका परीक्षण व निरीक्षण निम्नहस्ताक्षकर्ता से करवाकर स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेने के बाद ही भवनप का उपयोग किया जा सकेगा। उक्त की पालना नहीं करने पर भूखण्ड मालिक/आवेदक के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
13. यह अस्थाई अभिशंषा पत्र जारी करने की दिनांक से एक वर्ष हेतु मान्य होगा। यदि इस अवधि में भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होता है तो इसका नवीनीकरण करवाये जाने हेतु पुनः आवदेन कर मौका निरीक्षण करवाया जाकर अभिशंषा पत्र की अवधि में वृद्धि करवाई जानी होगी। भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने पश्चात् उक्त भवन/परिसर में स्थापित किये गये स्थाई/अस्थाई अग्निशमन यंत्र/उपकरणों का निरीक्षण करवाया जाकर प्रमाण–पत्र लेना होगा। उक्त शर्तो में किसी भी प्रकार का उल्लंघन किये जाने पर नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा पर नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

(सचिन यादव)
R.A.S.
आयुक्त
नगर परिषद श्रीगंगानगर